

11-01-2022 यशवाली मेश हुई। उमयमहा अधिवक्ता

उमास्वित) निगराकार एवं गौर निगराकार  
अधिवक्ता ने पार्थना मंत्र दिनांक 15.11.2021  
को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि  
यशकारान के मध्य राजीनामा हो गया है  
एवं निगराकार आगे प्रकरण में कोई कार्यवाही  
नहीं चाहते हैं अतः प्रकरण को विद्रो करने  
की अनुमति चाही गयी है। निगराकार एवं  
गौर निगराकार की महचान अधिवक्तागण द्वारा  
की गयी है। अतः निगराकार के पार्थना-मंत्र  
पर प्रकरण को विद्रो करने की अनुमति प्रदान  
की जाती है एवं प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप  
की जाती है। प्रकरण नम्बर से कम हो।

  
जिला कलक्टर  
भीलवाड़ा

अधिवक्ता

मैरुलाल

विपुल ब